संख्या-14/2018-2320/चौदह-4-2018-47(बजट)/2017

प्रेषक,

संजय सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

और विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश शासन।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक, अक्टूबर, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- "प्रोजेक्ट टाइगर" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त/समायोजित की गई केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 784.32 लाख के सापेक्ष रू0 781.25 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0- पी-223/36-टी-15(प्रो0टा0) 17 सितम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-60- के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत रु0 781.25 लाख (रू0 सात सौ इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक	(धनराशि रू 0लाख में)
अनुदान संख्या60-	
राजस्व लेखा-	
-2406वानिकी तथा वन्य जीव-	
-02पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
-110वन्य जीव परिरक्षण-	
-01केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
-0128प्रोजेक्ट टाइगर-(.रा+.के-40.रा/60.के)	
-02मजदूरी	**200.00**
-08कार्यालय व्यय	**4.00**
-09विद्युत देय	**9.15**
-11लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	**2.00**

http://shasnadesh.up.nic.in

-12कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**3.00**
-13टेलीफोन पर व्यय	**1.50**
-15गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**35.00**
-16व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**4.75**
-18प्रकाशन	**2.00**
-44प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**7.85**
-46कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय साफ्टवेयर का /	**1.70**
-47कम्प्यूटर अनुरक्षण शनरी का क्रयबंधी स्टेतत्सं /	**2.40**
-51वर्दी व्यय	**1.80**
योग0128-	**275.15**
-0129प्रोजेक्ट टाइगर -(.रा+.के-40.रा/60.के) (प्रणाली 0एल0सी0सी)	
-29अनुरक्षण	**165.10**
-42अन्य व्यय	**110.00**
योग0129-	**275.10**
योग लेखाराजस्व-	**550.25**
पूंजी लेखा-	
-4406वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
-02पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
-110वन्य जीव-	
-01केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
-0101प्रोजेक्ट टाइगर -(.रा+.के-40.रा/60.के) (प्रणाली 0एल0सी0सी)	
-24वृहत निर्माण कार्य	**220.00**
-26मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र /	**11.00**
योग-:पूंजी लेखा	**231.00**
कुल योग-:	**781.25**

(रू0 सात सौ इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasnadesh.up.nic.in

2- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

3- स्वीकृत धनराशि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक दिनांक 17.09.2018 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

4- प्रश्नगत योजना के सम्बंध में भारत सरकार के पत्र संख्या-4-1(45)/2017-पी0टी0 दिनांक 13-07-2017 मे उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/कार्य प्रगति संबंधी आख्या शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय /भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा तथा विगत में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

9- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाएगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा। वित्तीय स्वीकृति से जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

10- स्वीक़त धनराशि व्यय करने से पूर्व यथावश्यक वित्त/नियोजन विभाग की सहमति प्राप्त की जाय तथा समस्त वर्तमान में प्रवृत्त संगत नियमों/निर्देशों एवं औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य वित्तीय नियमों के अनुसार यदि लागू हो तो व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

12- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

13- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकताएं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाएगा।

14- अवमुत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

15- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ नियमानुसार व्यय तथा बचत की धनराशि सुनिश्चित करेंगे एवं प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियो की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

16- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्य यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।

17- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375-दस/2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 तथा समय-समय पर जारी सतस्त संगत शासनादेशो द्वारा जारी दिशा-निर्देशो एवं समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- विषयगत योजनान्तर्गत हुई कार्य की प्रगति चित्र (photo) सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए इसे एक अतिरिक्त बिन्दु (Additional point) के रूप में भी विभागीय वेबसाइट पर इंगित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7- दिनांक अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय सिंह)
सचिव

संख्या-2320(1)/चौदह-4-2018तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

project tiger hp

http://shasnadesh.up.nic.in

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार द्तीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं क़षि वानिकी,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व उ0प्र0।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डॉ0 दीपक कोहली)
उप सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in